संख्या–2/2016/161/सत्रह-म-2016 11 -1 अ(4)/2006

प्रेषक

बिन्द गोपाल द्विवेदी
अनुसचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में

निदेशक मत्स्य
उ0प्र0 लखनऊ।

मत्स्य उत्पादन अनुभाग लखनऊ दिनांक 25 जनवरी 2016

विषय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या -17 लेखाशीर्षक 2405 मछली पालन – आयोजनेत्तर के अन्तर्गत मानक मद 20 - सहायता अनुदान- सामान्य (गैरवेतन) में अवशेष धनराशि निर्गत करने के सम्बंध में।

महोदय

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या– 02 /ले0शा0/ वित्तीय स्वी0 -2015-16 दिनांक 15-01-2016 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2015-16 में 19 जनपदों में कार्यरत मत्स्य पालक विकास अभिकरणों के कार्मिकों को वेतन एवं अन्य आकस्मिक व्ययों हेतु अनुदान संख्या – 17 लेखाशीर्षक 2405 – मछली पालन – आयोजनेत्तर 190 - सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों को सहायता 01- केन्द्रीय आयोजनागत /केन्द्रपुरोनिधानित योजनाएं 0101- मत्स्य पालक विकास अभिकरण को सहायता की मानक मद 20- सहायता अनुदान -सामान्य (गैरवेतन) के अन्तर्गत रू0 20.00 लाख का प्राविधान था जिसके सापेक्ष्य शासनादेश संख्या –11/2015/691 / सत्रह-म-2015 11- 1 अ (4) /2006 दिनांक 01-06-2015 द्वारा धनराशि रू0 10.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी । चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय –व्ययक में मानक मद 20 - सहायता अनुदान- सामान्य (गैर वेतन) में अवशेष धनराशि रू0 10.00 लाख की निम्नलिखित जनपदवार फांट के अनुसार निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन आहरित कर व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है –

(रू0 हजार में)

क्र0 सं0	मत्स्य पालक विकास अभिकरण/जनपद	20- सहायता अनुदान- सामान्य (गैरवेतन)
1	मत्स्य पालक विकास अभिकरण लखनऊ	41500
2	मत्स्य पालक विकास अभिकरण उन्नाव	71500
3	मत्स्य पालक विकास अभिकरण रायबरेली	99000
4	मत्स्य पालक विकास अभिकरण फैजाबाद	78800

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

5	मत्स्य पालक विकास अभिकरण गोण्डा	37400
6	मत्स्य पालक विकास अभिकरण सुल्तानपुर	69000
7	मत्स्य पालक विकास अभिकरण बाराबंकी	93600
8	मत्स्य पालक विकास अभिकरण इलाहाबाद	40000
9	मत्स्य पालक विकास अभिकरण प्रतापगढ	33500
10	मत्स्य पालक विकास अभिकरण गोरखपुर	42300
11	मत्स्य पालक विकास अभिकरण देवरिया	69400
12	मत्स्य पालक विकास अभिकरण आजमगढ	79500
13	मत्स्य पालक विकास अभिकरण् बलिया	45000
14	मत्स्य पालक विकास अभिकरण वाराणसी	60000
15	मत्स्य पालक विकास अभिकरण जौनपुर	38900
16	मत्स्य पालक विकास अभिकरण गाजीपुर	44000
17	मत्स्य पालक विकास अभिकरण मेरठ	30600
18	मत्स्य पालक विकास अभिकरण बदायूँ	23400
19	मत्स्य पालक विकास अभिकरण बस्ती	2600
	योग -	1000000

1 उपरोक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग पूर्व निर्धारित नियमों एवं शर्तों के अधीन किया जायेगा तथा धनराशि का आहरण विदघमान व्यवस्था के अनुसार व्यय की आवश्यकता होने पर ही किया जाय। व्यय प्रबंधन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनश्चित किया जायेगा।

2 उपरोक्त स्वीकृति धनराशि को उल्लिखित विवरण के अनुसार सम्बधित मत्स्य पालक विकास अभिकरणों को तत्काल आवटित करते हुए उसकी प्रति शासन को उपलब्ध करायी जाय।

3 यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेंट) मात्र किसी प्रकार से व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। उपरोक्त् स्वीकृत धनराशि व्यय करने से पूर्व जिन मामलों मं बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत् राज्य सरकार /केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम अधिकारी को स्वीकृति की आवश्यकता हो उन मामलों में व्यय करने से पूर्व आवश्यक प्रस्ताव शासन को भेजकर ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय। किसी भी दशा में उपरोक्त स्वीकृति धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 की नई मदों के क्रियान्वयन में न किया जाय।

4 वर्तमान में वित्तीय वर्ष में स्वीकृति धनराशि का आहरण/व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015 दिनांक 30 मार्च 2015 में जारी निर्देशानुसार एकमुश्त न किया जाय। वित्तीय स्वीकृतियों में आवश्यकतानुसार धनराशि को

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

कोषागारों से किश्तों में आहरण सम्बंधी आदेशों का समावेश सुनिश्चित किया जाय। उपरोक्त अनुदानों के अन्तर्गत स्वीकृति धनराशि का आवंटन एवं आवटित /वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय के नियत्रंण के सम्बंध में शासनादेश संख्या- १- ११९५/दस-१६/९४ दिनांक ०६ जून १९९४ द्वारा निर्गत निर्देशों का कडाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5 सम्पूर्ण धनराशि का पूर्ण उपयोग होने के उपरान्त उपभोग प्रमाण –पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

6 उपरोक्त होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या - 17 के अधीन लेखाशीर्षक 2405-मछली पालन – आयोजनेत्तर की योजना 190-सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमो को सहायता 01- केन्द्रीय आयोजनागत /केन्द्रपुरोनिधानित योजनाएं 0101- मत्स्य पालक विकास अभिकरण को सहायता (जिला योजना)के 75/रा025-के0रा0 की मानक मद 20-सहायता अनुदान – सामान्य(गैरवेतन) के सुसंगत इकाई के नामें डाला जायेगा।

2- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- १६८५ /दस- 1992 दिनांक 17-07-1992 में प्रदत्त अधिकारी तथा वित्त् विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 2/2015/बी-1-2015 231-दस /925-1-2015 दिनांक 30 मार्च 2015 के अनुसार जारी किये जा रहें है।

भवदीय

(बिन्द गोपाल द्विवेदी)
अनुसचिव

संख्या – 2/2016/ 161(1)/ सत्रह-म-2016 तददिनांक

1 महालेखाकार (लेखा परीक्षा एवं हकदारी) प्रथम /द्वितीय इलाहाबाद।
2 महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/ द्वितीय इलाहाबाद ।
3 सम्बंधित मुख्य /वरिष्ठ कोषाधिकारी ।
4 वित्त एवं लेखाधिकारी मत्स्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ ।
5 वित्त (व्यय- नियत्रंण) अनुभाग-2 / वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
6 गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(बिन्द गोपाल द्विवदी)
अनुसचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।